

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह/ग्रुप-9/2019


जयपुर, दिनांक : 13.05.2020

आदेश

इस विभाग के आज दिनांक तक समस्त समसंख्यक आदेशों के क्रम में निम्न दुकानें आदि खोली जा सकती हैं :-

1. रेस्टोरेंट/भोजनालय आदि - केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी
2. मिठाई की दुकानें - केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी
3. ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर समस्त ढाबें
4. हार्डवेयर की दुकानें (प्लम्बिंग, कारपेन्टरी, पेंट आदि)
5. निर्माण सामग्री दुकानें
6. ए.सी., कूलर, टीवी/इलैक्ट्रॉनिक्स, विद्युत सम्बन्धी दुकानें
7. इलैक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग दुकानें/सेवाएँ
8. वाहन विक्रय शोरूम

उपरोक्त समस्त दुकानें कार्यस्थल के लिए पूर्व में जारी किये गये आदेशों में निर्धारित सुरक्षा उपायों - यथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिना मास्क पहने ग्राहक को विक्रय नहीं करना, निरन्तर सैनेटाईजेशन व्यवस्था आदि - की पूर्ण पालना करेंगे।


(राजीव स्वरूप)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक समस्त रेंज।
6. समस्त कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह